जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

राजस्थान सरकार बनाम हरि पुत्र चन्दर निवासी उकरूंद

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–41 सन्–2022

निर्णय दिनांकः–17.02.2023

–:: निर्णय ::–

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरूंद भूमि ख0न0 1046 कुल अतिक्रमित रकबा 0.0016 है0 (16 वर्ग मीटर) राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ते पर गैर सायल हरि पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी उकरूंद द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं साधे कागज पर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण को हटाया जाना भी स्वीकार किया। अतः गैर सायल को अतिक्रमण हटाने हेतु समय दिया गया। गैर सायल पुत्र अशोक द्वारा जमांबदी, नक्सा ट्रेस सम्वत् 2018, एकीकरण मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2018, एकीकरण जमांबदी 2018, एकीकरण मिलान क्षेत्रफल 2018, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2050 से 2069 आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी न्यायालय में पेश की गई। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उक्त दस्तावेज संतोषप्रद नहीं पाये गऐ। उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का उकरूंद से बयान लिए गये। पटवारी हल्का के बयान से अतिक्रमण की पुष्टि होती है। बयान अनुसार गैर सायल द्वारा उक्त दिनांक तक अतिक्रमण को नहीं हटाया गया एवं गैर सायल द्वारा पूर्व में भी उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर बेदखल किया जा चुका था।

पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि गैर सायल का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाईटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है। उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल हरि पुत्र चन्दर निवासी उकरूंद को भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण के कृत्य के लिए 03(तीन) माह के सिविल कारावास व लगान 0.07 रुपये का 50 गुणा 3.5 रुपये लगभग 4 रुपये की शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा गैरसायल को मौके से (अतिक्रमित रकबे से) भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

गैर सायल के विरूद्ध गिरफतारी वांरट प्रारूप 'ख' जारी हो, थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर को भेजा जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार मण्डावर को लिखा जावे। शास्ति वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली हेतु पटवारी हल्का एवं भू0 अभि0 नि0 को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
मण्डावर (दौसा)